

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. 7669-462-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४४ सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन संक्षिप्त नाम अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“८.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, एन.एच.-26, ग्राम सिरोंजा, सागर (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
९.	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना.	एकेएस पूर्त न्यास, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	एकेएस विश्वविद्यालय, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. 7670-462-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 44 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
TRITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 27th December, 2011; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 31st December, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Amendment of Schedule.

S. No. (1)	Name of private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
“8.	Swami Vivekanand University Sagar.	Prakhar Pragya Shiksha Prasara Avam Samaj Kalyan Samiti, Sagar.	Registered Society under the M. P. Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973).	Swami Vivekanand University NH-26, Gram Sironja, Sagar (M. P.)	Whole of Madhya Pradesh
9.	AKS University Satna.	AKS Charitable Trust, Satna.	Registered Public Trust under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	AKS University Sherganj, Panna Road, Satna (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh..”.